न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

पीठासीन अधिकारी– दानवीर सिंह, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

मूलवाद सं0–105/2004

1– चमन दीक्षित पुत्र शिवनन्दन दीक्षित, उम्र लगभग 30 वर्ष, प्रबंधक व पुजारी मंदिर बिहारी जी महाराज, स्थित मुहल्ला जुनैदपुरा (इन्द्रानगर) कस्वा कालपी, जिला जालौन।

.....वादीगण

बनाम

1– नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कालपी, जिला जालौन।

2– गोपाल जी अवयस्क उम्र 17 वर्ष,

3– रामगोपाल अवयस्क आयु लगभग 13 वर्ष,

4– मदन गोपाल अवयस्क आयु 11 वर्ष, पुत्रगण स्व0 लालजी संरक्षिका श्रीमती सुशीला देवी (मॉ) विधिवा स्व0 लालजी।

निवासीगण बिजली घर के पास कस्वा पुखरांया, जिला कानपुर देहात।

5– श्रीमती सुशीला देवी विधवा स्व0 लालजी आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी बिजली घर के पास कस्वा पुखरांया, जिला कानपुर देहात। (दौरान वाद मृतक)

6– श्रीमती सरोज देवी पत्नी हरेन्द्र सिंह, लेखपाल, निवासी ग्राम दमरास, हाल स्थान मुहल्ला इन्द्रानगर कस्वा कालपी, जिला जालौन।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध भवन विभाजित एवं भवन नम्बर के निरस्तीकरण के बावत प्रस्तुत किया गया है।

वादी का वादपत्र में संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वादी बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर स्थित मुहल्ला जुनैदपुरा कस्वा कालपी का पुजारी व प्रबंधक है तथा मंदिर व उसमें निहित चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करता है तथा वहैसियत पुजारी व प्रबंधक मंदिर व उसकी निहित भूमि पर काबिज दखील है। मंदिर बिहारी जी महाराज एक प्राचीन मंदिर है तथा वादी के नाना राज बहादुर मंदिर के पुजारी एवं प्रबन्धक रहे और नाना की मृत्यु के उपरान्त वादी के बड़े मामा श्री रामजी मंदिर व उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध संचालन करते थे तथा मंदिर में पूजा अर्चना व धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जीवन पर्यन्त करते थे। रामजी अविवाहित थे, गृहस्थ जीवन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था, निरन्तर ईश्वरीय भक्ति भावना में रहते थे। मंदिर बिहारी जी महाराज व उसमें निहित अचल सम्पत्ति को सुविधा की दृष्टि से संलग्न नक्शा नजरी में भलिभॉति प्रदर्शित किया गया है, जो निम्नवत है– पूरब–रास्ता खंड़जा, पश्चिम– पक्का रास्ता व मकान दीपचन्द्र ड्राईवर, उत्तर– रास्ता खड़ंजा व मकान लल्लूराम चौधरी, दक्षिण–मकान पृथ्वीराज सिंह व मकान अमर चन्द्र विश्नोई। प्रतिवादी सं0–1 नगर पालिका परिषद कालपी यू0पी0 म्यूनिसपैलिटीज एक्ट 1916 अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार एक कानूनी

व्यक्ति है, जिसका प्रबंध संचालन उक्त अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उसके चुने हुये पदाधिकारियों व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा होता है। प्रतिवादी सं0–1 अपनी सीमा अंतर्गत नगर में स्थित भूमि भवनों पर विधि में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार गृहकर का निर्धारण करती है तथा वसूल करती है तथा गृहकर निर्धारण रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का रख रखाव करती है। मंदिर बिहारी जी महाराज स्थित मु0 जुनेदपुरा (इन्द्रानगर) कालपी व उसमें निहित अचल सम्पत्ति का प्रतिवादी सं0–1 के गृहकर अभिलेखों में भवन सं0 12 दर्ज था और अभी हाल में तैयार अभिलेखो में नया नम्बर 12 के स्थान पर 13 नम्बर अंकित हो गया है। वादी के मामा रामजी जीवन पर्यन्त मंदिर व उसकी जायदाद के प्रबंधक रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई श्यामजी पुजारी व प्रबंधक के पद पर आसीन हुये। श्यामजी भी अविवाहित थे तथा गृहस्थ जीवन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। वादी के मामा रामजी व श्यामजी ने वादी को 10 वर्ष की आयु से अपने पास रख लिया था और वादी ने अपने मामा रामजी व श्यामजी के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण की व मामा रामजी व श्यामजी की प्रेरणा व उपदेश से वादी धार्मिक कार्यो में रूचि लेता रहा और पूजा अर्चना करता रहा तथा समय–समय पर प्रवचन करता रहा। वादी के मामा रामजी व श्यामजी वादी से अत्यधिक स्नेह व प्रेम रखते थे और वादी अपने मामा रामजी व श्यामजी के पद चिन्हों पर चलता रहा और मंदिर के प्रबंध संचालन में सहयोग करता रहा। रामजी की मृत्यु सबसे पहले हो गयी थी और उनकी मृत्यु के उपरान्त श्यामजी मंदिर के प्रबंधक व पुजारी के पद पर आसीन हुये। श्यामजी वादी से अत्यधिक स्नेह रखते थे और श्यामजी ने अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 24.04.2003 को गवाहान के सामने निष्पादित की थी और वसीयत द्वारा वादी प्रश्नगत मंदिर एवं उससे निहित सम्पत्ति पर वहैसियत प्रबंधक संचालन व मंदिर में पूजा पाठ नित्यप्रति करता है। प्रतिवादी सं0–1 ने गृहकर अभिलेखी में मंदिर व निहित जायदाद को भवन सं0 12 से चिन्हित किया था तथा रामजी पुजारी के नाम यह इन्द्राज बदस्तूर सन 1992–93 तक रहा, लेकिन प्रतिवादी सं0–1 के कर्मचारियों ने सन 1992–93 में बिना किसी कारण के अनियमित रूप से भवन सं0 12 को दो हिस्सो में विभाजित कर एक नया नम्बर 144 अंकित कर दिया और अनियमित रूप से स्व0 लालजी का नाम अंकित कर दिया, जिसकी जानकारी वादी एवं तत्कालीन पुजारी व प्रबंधक श्यामजी को नहीं हुयी तथा इस विभाजित नम्बर को पुनः वर्ष 1996–97 में प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 के साथ प्रतिवादी सं0–6 का नाम भी

अंकित कर दिया तथा यह समस्त इन्द्राज विधि विरूद्ध व शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी सं0–1 के कर्मचारियों ने वर्ष 2003–2004 में तैयार किये गृहकर निर्धारण रजिस्टर में पुनः विभाजित नम्बर 144 (ब) का नया नम्बर 68 (ब) कायम करके प्रतिवादी सं0–6 का नाज दर्ज कर दिया। इस प्रकार निरन्तर प्रतिवादी सं0–1 के अधिकारी व कर्मचारियों ने गृहकर अभिलेखों में नियम विरूद्ध कार्य करके मूल भवन सं0–12 को प्रभावित किया, जिससे मंदिर व उसकी सम्पत्ति को भविष्य में क्षति पहुंचाने की पूरी–पूरी सम्भावना है तथा विवाद उत्पन्न हो जाने की पूरी सम्भावना है। वादी को जब इस प्रकार के अवैधानिक इन्द्राज की जानकारी हुयी तो, वादी ने प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय में इस प्रकार किये गये अनियमित इंन्द्राज को समाप्त करने तथा मंदिर में निहित सम्पत्ति को मूल भवन सं0 12 कायम रखने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की तो प्रतिवादी सं0–1 को गृहकर निर्धारण समित के आदेशानुसार प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 का नाम कर बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर का नाम अंकित कर दिया, उसको निरस्त करा दिया, परन्तु न्यायालय कलेक्टर जालौन स्थान उरई के समक्ष दायर अपील सं0 9/2004 गोपाल आदि बनाम छुट्टन आदि धारा 160 यू0पी0 म्यू0एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने दिनांक 10.06.2004 को प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार करके इन्द्राज को जायज ठहराया है। अतः वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी। वाद का कारण भवन सं0 12 मंदिर बिहारी जी महाराज से विलग करते हुये नया भवन सं0 144 (अ)(ब) व उसको पुनः विभाजित करके 68 (ब) कायम करने पर 11.06.2002 को जब प्रतिवादी सं0–1 की गृहकर निर्धारण समिति ने प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 व 6 का नाम इंद्राज करने का आदेश करने पर तत्पश्चात् प्रतिवादी सं0–2 लगायत 5 व 6 द्वारा दिनांक 28.06.2004 को मंदिर की जायदाद पर अपना स्वामित्व जाहिर करने पर स्थान मु0 इन्द्रानगर कस्वा कालपी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुआ। उपरोक्त आधारो पर विवादित भवन सं0 144 (अ)(ब) व पुनः विभाजित नम्बर 68(ब) शून्य एवं प्रभावहीन व अनियमित घोषित कराने का अधिकारी है। बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर स्थित मु0 जुनैदपुरा कालपी व उससे निहित चल अचल सम्पत्ति सदैव के लिये मंदिर में निहित (Dedicated) सम्पत्ति है, उसका स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही हो सकता है। प्रश्नगत मंदिर व उसकी सम्पत्ति प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय के गृहकर अभिलेखों में प्रारम्भ से ही भवन सं0 12 से चिन्हित व अंकित रही है। विवादित इन्द्राज भवन सं0 12 में से एक नया नम्बर 144 उत्पन्न करना व उसमें प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 का नाम

इन्द्राज करने तथा 144 को पुनः विभाजित करके 68 (ब) करना वैधानिक प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा गैर कानूनी है। मंदिर व उसकी जायदाद पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नही था और न आज है तथा प्रतिवादीगण का मंदिर व उसकी सम्पत्ति पर मौके पर कभी भी भौतिक कब्जा नही था और न आज है। प्रतिवादी सं0–1 के अधिकारी व कर्मचारियों ने अनियमित प्रक्रिया के आधार पर साजिशन प्रतिवादीगण सं0–2 लगायत 6 को लाभ पहुचाने व अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिये जानबूझ कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये अवैधानिक भव सं0 144 व 168 (ब) अंकित कर दिये और यह इन्द्राज फर्जी व काल्पनिक है तथा मौके पर ऐसे भवन सं0 किसी प्रकार से चिन्हित नहीं है। वादी ने वाद दायर करने से पूर्व नोटिस अंतर्गत धारा 326 यू0पी0म्यू0एक्ट के अंतर्गत प्रतिवादी सं0–1 को उसके कार्याल्य में सम्बन्धित लिपिक पर दिनांक 21.07.2004 को तामील किया था। वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित कराने का मुस्तहक है कि मंदिर बिहारीजी महाराज स्थित मुहल्ला जुनैदपुरा कस्वा कालपी के मूल भवन सं0 12 को विभाजित करने व नये नम्बरान 144 व पुनः विभाजित 68 (ब) का इन्द्राज अनियमित विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। वादी इस आशय का आदेशात्मक व्यादेश की डिक्री खिलाफ प्रतिवादी सं0–1 पारित कराने का भी मुश्तहक है कि विभाजित नं0 144 व पुनः विभाजित नं0 68 (ब) गृहकर अभिलेख वर्ष 2003–2004 से प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 व 6 का नाम निरस्त कर दे।

प्रतिवादी सं0–1 की ओर से जवावदावा कागज सं0 44क1 दाखिल कर वादपत्र के अधिकांश कथनो को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत मकान के मालिक गृहकर अभिलेखों के मुताबिक चमन दीक्षित नहीं है। मुहल्ला इन्द्रानगर कस्वा कालपी मकान नं0 12 मंदिर पुजारी रामजी थे, वहैसियत पुजारी नाम इन्द्राज था। प्रश्नगत मकान के मालिक श्याम पुजारी कभी नहीं रहे, लिहाजा श्याम पुजारी को कोई वसीयतनामा करने का अधिकार नहीं था। प्रश्नगत मकान का विभाजन कभी नहीं हुआ। मकान नं0 12 अलग है व मकान नं0 44 प्रथक से प्लाट पर लालजी पुत्र राजबहादुर के नाम वर्ष 1992–93 में कैजुअल असिस्मैन्ट किया गया था, जिस पर श्यामजी द्वारा उस समय कोई आपत्ति नहीं की गयी। लालजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ने सरोज देवी पत्नी हरेन्द्र सिंह को 25,000/– रूपये में 30 x 30 फिट का बैनामा दिनांक 14.09.99 को लिख दिया था, जिसके नामान्तरण की कार्यवाही नगर पालिका परिषद कालपी में विचाराधीन है तथा

नियमानुसार नामान्तरण कार्यवाही गृहकर निर्धारण समिति के आधार पर वर्ष 2003 में दर्ज हो गया। महज हैरान व परेशान करने की मंशा से प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध दावा दायर किया है। प्रतिवादी को दिये गये नोटिस से कोई सम्बंध नहीं है। प्रश्नगत मकान का मालिक वादी नहीं है। उत्तरदाता/प्रतिवादी ने जिलाधिकारी जालौन के आदेशानुसार दिनांक 10.06.94 के अनुपालन में कार्यवाही की है। उत्तरदाता/प्रतिवादी को वगैर किसी कारण के पक्षकार बनाया गया है। विवादित मकान/प्लाट 30 x 30 फिट का बैनामा 25,000/– रूपये में श्रीमती सरोज देवी के नाम हुआ है। वादी ने उत्तरदाता/प्रतिवादी को अकारण वगैर किसी स्वत्व के मनगंढन्त एवं परेशान व हैरान करने की गरज से दावा दायर किया है, लिहाजा प्रतिवादी, वादी से स्पेशल हर्जा पाने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त आधारो पर दावा वादी खारिज किया जाये।

प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 4 की ओर से जरिये संरक्षिका बहन पूनम की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0 77क1 कर प्रस्तुत कर वादपत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि वादी बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर स्थित मुहल्ला जुनैदपुरा कस्वा कालपी का पुजारी व प्रबंधक नही है और न ही वादी मंदिर व उसमें निहित चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करता है और न ही वादी वहैसियत पुजारी व प्रबंधक मंदिर व उसकी निहित भूमि पर काबिज दखील है। मंदिर श्री बिहारी जी महाराज एक प्राचीन मंदिर है, जिसके प्रबंधक श्री राजबहादुर थे, जो वादी के नाना नहीं थे तथा राजबहादुर के तीन पुत्र थे, जिनमें रामजी तिवारी, श्यामजी तिवारी अविवाहित थे, तथा रामजी व श्यामजी अधिकांशतः कालपी के बाहर रहते थे, तथा केवल प्रतिवादीगण/उत्तरदाता के पिता की शादी हुयी थी और इसीलिये रामजी व श्यामजी ने मकान व उसमें निहित भूमि तथा उनके मकान में स्थित निजी मंदिर के सम्बन्ध में सहमति दी थी और नगर पालिका परिषद कालपी के अभिलेखों में प्रतिवादी/उत्तरदाता के पिता का नाम राजबहादुर के मरने के बाद मकान व उसके निहित भूमि तथा निजी भूमि तथा निजी मंदिर पर अंकित हुआ। जब तक प्रतिवादी/उत्तरदाता के पिता श्री लालजी तिवारी जीवित रहे, मकान व उसके निहित भूमि तथा निजी मंदिर जो प्रतिवादी/उत्तरदाता के मकान के अन्दर स्थित है, की मंदिर की पूजा अर्चना तथा देखरेख करते रहे। रामजी तिवारी कालपी से बाहर रहते थे इसलिये प्रतिवादी/उत्तरदाता के पिता ही मकान उसके निहित भूमि व निजी मंदिर की देखरेख करते थे। वादी ने अपने वादपत्र में मानचित्र गलत दर्शाये है। यह तथ्य सही है कि मंदिर प्रतिवादी/उत्तरदाता

के मकान में स्थित है तथा निजी मंदिर है। प्रतिवादी/उत्तरदाता के मकान के अलावा प्रतिवादी/उत्तरदाता की अन्य भूमि स्थित है, जोकि प्रतिवादी/उत्तरदाता के मकान का ही भाग है। मंदिर बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर का पुराना भूमि सं0 12 हे, जिसका वर्तमान 13 है, पर स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाये निम्नवत है– पूरब– कमरा प्रतिवादी/उत्तरदाता का जो मकान का ही अंश भाग है, जिसका पुराना नम्बर 144 था तथा नया नम्बर 68/1 व 68/2 हुआ। पश्चिम– पाखर तथा प्रतिवादी/उत्तरदाता के मकान का आंशिक भाग जिसका पुराना नम्बर 144 था नया नम्बर 168/1 व 168/2 बना। उत्तर– बरामदा प्रतिवादी के मकान का अंश भाग 68/1 व 68/2 है। दक्षिण– खाली जगह प्रतिवादी/उत्तरदाता के मकान का अंश भाग जिसका नगर पालिका परिषद कालपी के अभिलेखों में मकान नम्बर 68/1 व 68/2 है। इस प्रकार वादी ने वादपत्र की धारा 3 में मंदिर व मकान व उसमें निहित भूमि के अलावा भूमि सं0 144 वर्तमान 68/1 व 68/2 को भी सम्मिलित कर दिया है। जहां तक राजबहादुर व प्रतिवादी/उत्तरदाता का सम्बन्ध है, तो इनका वंशवृक्ष वादपत्र में अंकित है। वादी बहुत की चालाक व्यक्ति है, उसने प्रतिवादी/उत्तरदाता के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी/उत्तरदाता की अल्पवयस्कता व प्रतिवादी/उत्तरदाता की मॉ विधवा का लाभ उठाकर नगर पालिका परिषद कालपी के कर्मचारियों से मिलकर श्यामजी तिवारी का नाम अंकित करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी की मॉ ने न्यायालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई में श्यामजी तिवारी के नाम के फर्जी इन्द्राज को निरस्त कराने के विरूद्ध अपील सं0 05/2004 दाखिल की थी, जिसमें जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई द्वारा श्यामजी तिवारी का नाम निरस्त कर दिया गया, जिसका इन्द्राज नगर पालिका परिषद कालपी के अभिलेखों में भी दर्ज हो गया। रामजी, मंदिर व उसकी जायदाद के प्रबन्धक नही रहे है। प्रतिवादी/उत्तरदता सं0–2 विकृतचित्त व प्रतिवादी सं0 3 व 4 अवयस्क है तथा प्रतिवादी/उत्तरदातागण की मॉ श्रीमती सुशीला देवी का देहान्त हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के बड़ी बहन पूनम देवी को वाद की पैरवी करने का पूरा अधिकार है। यह सही है कि रामजी, श्यामजी स्वयं मंदिर का प्रबंधक व संचालन नहीं करते थे। वादी मूलरूप से ग्राम मैनूपुर परगना कालपी जिला जालौन का निवासी है और वादी अपने पिता के साथ कालपी के मोहल्ला हैदरीपुरा में रहता है। वादी भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। रामजी की मृत्यु के उपरान्त श्यामजी मंदिर के पुजारी व प्रबंधक के पद पर आसीन नहीं हुये, बल्कि

राजबहादुर के मरने के उपरान्त मंदिर के प्रबधंक व पुजारी उत्तरदाता के पिता लालजी तिवारी हुये थे। श्यामजी ने वादी के हक में दिनांक 24.04.2003 को कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। मंदिर व उससे सम्बन्धित भवन व उससे सम्बन्धित निहित सम्पत्ति का नम्बर 12 था। इसके अलावा जो दीगर सम्पत्ति राजबहादुर के नाम थी, उसका नम्बर 133 था। वादी ने इस सम्बन्ध में अपने वादपत्र की दफा 10 में यह कथन कि प्रतिवादी सं0–1 ने भवन सं0 12 को 2 हिस्से में विभाजित करके नया नम्बर 144 अंकित कर दिया है, असत्य है। नं0 144 प्रथक नम्बर जिसके मालिक व काबिज लालजी थे, जो प्रतिवादी/उत्तरदाता के पिता थे और इसकी पूरी जानकारी वादी, रामजी व श्यामजी को रही, जिसका कोई विरोध श्यामजी व रामजी व वादी ने नहीं किया है। भूमि सं0 144 पर नामान्तरण की प्रक्रिया के समय असिसमेंट किये जाने के सम्बन्ध में अपनी लिखिल संस्वीकृति प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय में दी थी, लिहाजा दावा वादी विबन्धक के सिद्धान्त से बाधित है। मकान, मंदिर व उसमें निहित भूमि के मालिक व काबिज प्रवितादी के पिता लालजी थे, लालजी के मारने के उपरानत उक्त भूमि के मालिक व काबिज प्रतिवादीगण की मॉ श्रीमती सुशीला देवी ने इस प्लाट को श्रीमती सरोज देवी को विक्रय पत्र निष्पादित किया था और इस विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सरोजदेवी का नाम असिसमेंट रजिस्टर बावत भवन कर नगर पालिका कालपी की 2003–04 में दर्ज हो गया था और असिसमेंट रजिस्टार भवन पर नगर पालिका परिषद कालपी के 2003–04 के अनुसार इस प्लाट का साविक मकान नं0 144 व हाल नं0 68/2 है और इन्द्राज के सम्बन्ध में कोई चुनौती वादी द्वारा सक्षम न्यायालय को नहीं दी गयी। लिहाजा दावा वादी धारा 164 उ0प्र0नगर पालिका परिषद अधिनियम से बाधित है। वादी ने श्रीमती सरोज देवी के भवन कर निर्धारण जो नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा वर्ष 2003–04 में किया गया था, के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही जिलाधिकारी के न्यायालय में नहीं की गयी। अपील सं0 05/2004 गोपाल आदि बनाम छुट्टन आदि प्रतिवादी/उत्तरदाता की मॉ श्रीमती सुशीला देवी ने न्यायालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई के न्यायालय में धारा 160 यू0पी0एम0बी0एक्ट जिस पर आदेश दिनांक 10.06.2004 को पारित किया गया था, उस आदेश के अनुसार मकान नं0 144 हाल 68/1 पर प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 द्वारा श्रीमती सरोज देवी के हक में किये गये बैनामा व उसके आधार पर प्रतिवादी सं0–1 द्वारा श्रीमती सरोज देवी नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा वर्ष 2003–04 में साविक नं0 144 व हाल नं0

68/2 इन्द्रानगर कालपी पर दर्ज इन्द्राज को ही माना गया था और इस आदेश दिनांक 10.06.2004 को वादी ने समक्ष न्यायालय चुनौती नहीं दी थी। दावा वादी प्रिंसपल ऑफ स्टोपिल व रेस जुडिकेटा से बाधित है दिनांक 11.06.2002 व 28.06.2004 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने अपने वादपत्र में धारा 13 कुल कथन गलत है। दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है। भवन सं0 144 अ,ब, व 68 व को वादी शून्य व प्रभावहीन घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के मालिक काबिज वादी नहीं है। प्रतिवादी सं0–1 द्वारा भवन सं0 144 व 68/व सही अंकित किये गये है। वादी ने नोटिस वाद संस्थित करने पूर्व धारा 326 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया है। वादी प्रश्नगत भूमि के बावत किसी प्रकार का आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने काा अधिकारी नहीं है। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि की कोई पैमाइश अंकित नही की है और वादी के वादपत्र में दी गयी चोहद्दी के अनुसार प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल सम्मिलित 2000 वर्ग मीटर है। प्रश्नगत भूमि के मालिक काबिज वादी नहीं है। दावा वादी धारा 34 व 41 एस.आर.एक्ट से बाधित है। उपरोक्त आधारों पर दावावादी निरस्त किया जावे और प्रतिवादीगण को हर्जा खर्चा दिलाया जाये।

प्रतिवादी 6 की ओर से प्रतिवादपत्र कागज सं0 42क1 प्रस्तुत कर वादपत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि वादी बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर स्थित मु0 जुनैदपुरा (इन्द्रनगर) कस्वा कालपी का पुजारी व प्रबंधक नही है और नही वादी मंदिर में निहित चल–अचल सम्पत्ति की देखभाल करता है। वादी का कोई कब्जा वहैसियत मंदिर व उसकी भूमि पर नहीं है। मंदिर बिहारी जी महाराज एक प्राचीन मंदिर है और उसके पुजारी राजबहादुर थे, लेकिन राज बहादुर वादी के नाना नहीं थे और चूंकि राज बहादुर के तीन लड़को में से रामजी व श्यामजी अविवाहित थे और केवल लालजी की शादी हुयी थी इसी वजह से रामजी, श्यामजी ज्यादाता कालपी के बाहर रहते थे और मंदिर की देखभाल व उसका प्रबंध व पूजा अर्चना राज बहादुर के सबसे छोटे लड़के लालजी करते थे। राजबहादुर के मरने के बाद मंदिर व उससे सम्बन्धित सम्पत्ति के मालिक व काबिज लालजी हुये और राजबहादुर के मरने के बाद मंदिर व उससे सम्बन्धित सम्पत्ति नगर पालिका परिषद प्रतिवादी सं0–1 द्वारा लालजी पुत्र राजबहादुर का नाम नगर पालिका के असिसमेंट रजिस्टर में अंकित किया गया। वादी ने अपने वादपत्र में मंदिर की चतुर्थ सीमायें भ्रामक अंकित की है। बिहारी जी महाराज विराजमान का पुराना

भूमि सं0 12 जिसका वर्तमान समय में नम्बर है 13, पर स्थित है और चतुर्थ सीमाये निम्नवत है– पूरब–कमरा प्रतिवादी/उत्तरदाता सं0 2 ता 5 का आंशिक भाग है, जिसका पुराना नम्बर 144 था तथा नया नम्बर 68/1 व 68/2 बना। पश्चिम– बरामदा प्रतिवादी 2 ता 5 का आंशिक भाग जिसका पुराना नम्बर 144 था नया नम्बर 168/1 व 168/2 बना। उत्तर– बरामदा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 आंशिक भाग, जिसका पुराना नं0 144 था, नया नं0 68/1 व 68/2 है। दक्षिण– खाली जगह प्रतिवादी/उत्तरदाता सं0 2 ता 5 का आंशिक भाग जिसका जिसका पुराना नं0 144 था, नया नं0 68/1 व 68/2 है। उत्तर– मकान प्रतिवादी सं0 2 ता 5 जिसका पुराना नं0 144 व नया 68/1 है। दक्षिण खाली भूमि, पूरब दरवाजा वादहू अग्गा व रास्ता। पश्चिम प्लाट प्रतिवादिनी सं0–6 जिसका नया नं0 68/2 है। रामजी मंदिर व उसकी जायदाद के प्रबन्धक नही रहे है और न ही रामजी के मरने के बाद श्यामजी मंदिर के पुजारी व प्रबंधक के पद पर आसीन हुये। श्यामजी अविवाहित थे, उनका कालपी में रहना नही होता था। श्यामजी ज्यादातर घूम फिर कर होटल व अन्य जगहों में काम करते थे। राजबहादुर के तीन लड़को में रामजी, श्यामजी, अविवाहित थे, केवल लालजी विवाहित थे। राजबहादुर के जीवनकाल से ही मंदिर श्री बिहारी जी महाराज की पूजा अर्चना व प्रबन्ध लालजी देखते थे, और इसीलिये राजबहादुर के मरने के बाद मंदिर व उससे सम्बन्धित सम्पत्ति व दीगर सम्पत्ति लालजी पुत्र राजबहादुर का नाम नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिलेखों में दर्ज हुआ। रामजी व श्यामजी ने वादी को कभी अपने पास नहीं रखा। वादी का धार्मिक कार्यो से कोई लेना देना नहीं है। वादी मूलरूप से ग्राम मैनूपुर पगरना कालपी जिला जालौन का निवासी है और वादी के पिता के साथ मु0 हैदरीपुरा कालपी में रहता है। रामजी की मृत्यु के उपरान्त श्यामजी मंदिर के पुजारी व प्रबधंक के पद पर आसीन नहीं हुये। राजबहादुर के मरने के उपरान्त मंदिर के प्रबंधक व पुजारी लालजी हुये थे। श्यामजी ने वादी के हक में दिनांक 24.04.2003 को कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। मंदिर व उससे सम्बन्धित सम्पत्ति का नं0 12 था, इसके अलावा जो दीगर सम्पत्ति राज बहादुर के नाम थी उसका नं0 144 था,वादी ने इस सम्बन्ध में अपने वादपत्र की धारा 10 का यह कथन कि प्रतिवादी सं0–1 ने भवन सं0 12 को दो हिस्से में विभाजित करके नया नं0 144 अंकित कर दिया असत्य है। सही तथ्य यह है कि नं0 144 प्रथक नम्बर जिसके मालिक व काबिज लालजी पुत्र राजबहादुर थे और इसकी पूरी जानकारी वादी रामजी व श्यामजी को रही, जिसका विरोध रामजी व

श्यामजी ने नहीं किया। भूमि सं0 144 रजामंदी पर नामान्तरण की प्रक्रिया के समय प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय में रामजी व श्यामजी ने लालजी के नाम असिसमेंट किये जाने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकारोक्ति प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय में थे, दावा वादी विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है। सम्पत्ति जिसकी चतुर्थ सीमायें उत्तर– रास्ता खड़ंजा, दक्षिण– कुलिया वादहू मकान पृथ्वीराज सिंह, पूरब– मंदिर व मकान प्रतिवादी सं0–2 लगायत 5, पश्चिम–सहन प्रतिवादी सं0–6 के मालिक काबिज लालजी पुत्र श्री राजबहादुर थे। लालजी पुत्र राज बहादुर के मरने के उपरान्त इस भूमि के मालिक काबिज गोपाल, मदन, श्रीराम, अवयस्क पुत्रगण लालजी निवासी इन्द्रानगर कालपी थे और उनकी ओर से उनकी मॉ संरक्षिका श्रीमती सुशीला वेवा लालजी से इस प्लाट को उत्तरदाता ने प्राप्त किया, जिसके आधार पर उत्तरदाता का नाम असिसमेंट रजिस्टर में वर्ष 2003–04 में दर्ज हो गया था। उत्तरदाता मकान नं0 144व हाल नं0 68/2 मुहल्ला इन्द्रानगर कालपी का मालिक है। इस इन्द्राज के सम्बन्ध में कोई चुनौती वादी द्वारा सक्षम न्यायालय को नहीं दी गयी, लिहाजा दावा वादी धारा 164 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम से बाधित है। प्रतिवादी सं0–6 का जिस भूमि पर नाम इन्द्राज है, वह मंदिर की सम्पत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं0–6 के इंद्राज के सम्बन्ध में वादी द्वारा न्यायालय जिलाधिकारी जालौन में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादी का यह कहना प्रतिवादी सं0–1 के कार्यालय द्वारा इन्द्राज को समाप्त करने के सम्बन्ध में न्यायालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई में कार्यवाही की गयी थी और जिसमें दिनांक 10.06.2004 को आदेश पारित किया गया था, असत्य व निराधार है। अपील सं0 05/2004 गोपाल आदि बनाम छुट्टन आदि धारा 160 यू0पी0एम0वी0एक्ट जिस पर आदेश दिनांक 10.06.2004 को पारित किया गया था, उस आदेशा के अनुसार मकान नं0 144 हाल 68/1 पर प्रतिवादी सं0–2 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी/उत्तरदाता के हक में किये गये बैनामा व उसके आधार पर प्रतिवादी सं0–1 द्वारा प्रतिवादी सं06 के हक में नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा वर्ष 2003–04 में साविक मकान नं0 144व हाल 68/2 इंद्रानगर कालपी पर दर्ज इंद्राज को सही माना गया और इस आदेश के विरूद्ध वादी ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। लिहाजा दावा वादी विबंधन के सिद्धान्त एवं पूर्व न्याय से बाधित है। यह दिनांक 11.06. 2002 व 28.06.2004 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता, अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है। बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर इंद्रानगर कालपी व उसमें निहित चल–अचल सम्पत्ति के मालिक व

काबिज वादी नहीं है। लिहाजा वादी को वाद संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है। मकान नं0 12 को प्रतिवादी सं0–1 द्वारा दो भागों में विभक्त नहीं किया गया है। मकान नं0 144 प्रथक से प्लाट व मकान है, जिस पर प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी सं0–5 के पति लालजी का नाम दर्ज था और उनकी मृत्यु के बाद इस प्लाट व मकान के मालिक प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 हुये और उनसे विक्रय कराने के बाद नियमानुसार विक्रयपत्र के आधार पर उत्तरदाता का नाम दर्ज हुआ। वादी बिहारी जी महाराज का प्रबंधक व पुजारी नहीं है। वादी ने नियमानुसार प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 के विरूद्ध वाद संस्थित करते समय कोई प्रार्थनापत्र आदेश 32 नियम 3 के तहत नहीं दिया है। वादी ने वादपत्र में प्रश्नगत भूमि की कोई पैमाइस अंकित नहीं की गयी है। प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 द्वारा संजय सिंह, शैलेन्द्र कुमार व शरद खन्ना के हक में विवादित सम्पत्ति से बैनामा किया है, जिनको वादी ने पक्षकार नहीं बनाया। प्रस्तुत वाद बिहारी जी महाराज की ओर से संस्थित नहीं किया गया है।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 18.08.2009 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं–

1–क्या विवादित सम्पत्ति का वादी पुजारी व प्रबंधक है?

2–क्या वाद विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है?

3–क्या वाद धारा 164 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम से बाधित है?

4–क्या वाद रेस जुडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है?

5–क्या वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है?

6–क्या वाद धारा 326 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम से बाधित है?

7–क्या वाद आदेश 32 नियम 3 सी0पी0सी0 से बाधित का है?

8–क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

9–क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

10–क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है?

11–क्या वाद धारा 34 व 41 एस.आर.एक्ट से बाधित है?

12–क्या वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

13–क्या मंदिर बिहारी जी महाराज स्थित मो0 जुनैदपुरा के मूल भवन सं0 12 को विभाजित करके एवं नये नम्बरान 144 व पुनः विभाजित नम्बर 68 (ब) का अभिलेखों में इन्द्राज अनियमित तथा विधि विरूद्ध है?

वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 9ग1 से कागज सं0 10ग1/1 ता 10ग1/3 नोटिस धारा

326 यू0पी0 म्यूनिशपल एक्ट, कागज सं0 11ग1/1 ता 11ग1/2 नोटिस कार्यालय नगर पालिका परिषद कालपी, कागज सं0 12ग1 ता 19ग1 असिसमेंट की सत्यापित प्रति, कागज सं0 20क1/1 ता 20क1/3 वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति, कागज सं0 21क नोटिस डिफाल्टर, कागज सं0 22क1 मृत्यु प्रमाणपत्र श्यामजी तिवारी, कागज सं0 23ग1 एवं 24ग1 मृत्यु प्रमाणपत्र, कागज सं0 25ग1 नोटिस द्वारा नगर पालिका कालपी, कागज सं0 26ग1 फार्म 37क की प्रमाणित प्रति, दाखिल किये गये है।

वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–1 चमन दीक्षित का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 102क1/1 ता 102क1/6 पर, पी0डब्लू0–2 अहमद हुसैन की साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 109क2/1 ता 109क2/2 पर दाखिल कर परीक्षित कराया गया है तथा पी0डब्लू0–3 के रूप में मु0 फारूख को परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादी सं0–1 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 122ग1 से कागज सं0 123ग1 एवं 124ग1 नकल असिसमेंट रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

प्रतिवादीगण सं0–2,3,4 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 74ग1 से कागज सं0 75ग1 नकल असिसमेंट, कागज सं0 76ग सूची मतदाता, कागज सं0 77ग1 जांच आख्या, कागज सं0 78ग1 उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र लालजी, कागज सं0 79ग1 फार्म नं0–5, कागज सं0 80ग1 उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र श्यामजी, कागज सं0 82ग1 असिसमेंट लिस्ट, कागज सं0 83ग1/1 ता 83ग1/3 निर्णय न्यायालय जिलाधिकारी, कागज सं0 84ग1 स्थलीय आख्या, कागज सं0 85ग1 बयान रमेश, कागज सं0 86ग बयान श्यामबाबू, कागज सं0 87ग1 सामूहिक बयान, कागज सं0 88ग1 प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादी सं0–6 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 89ग1 से 90क1/1 ता 90क1/बैनामा दिनांकित 14.10.99 की प्रमाणित प्रति, कागज सं0 92ग1 नकल असिसमेंट की प्रमाणित प्रति, कागज सं0 93ग1 आख्या स्थलीय निरीक्षण दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में डी0डब्लू0–1 शिशुपाल की साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 118क2/1 ता 118क2/2 पर दाखिल कर परीक्षित कराया गया है तथा साक्षी डी0डब्लू0–2 सरोज देवी की साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 130क2/1 ता 130क2/8 पर दाखिल कर परीक्षित

कराया गया है तथा डी0डब्लू0–3 चन्द्रमोहन की साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 132क2/1 ता 132क2/2 पर दाखिल कर परीक्षित कराया गया है तथा साक्षी डी0डब्लू0–4 रमेश कान्त की साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0 139क2/1 ता 139क2/2 पर दाखिल कर परीक्षित कराया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–5 एवं वाद बिन्दु सं0–3

वाद बिन्दु सं0–5 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है?

वाद बिन्दु सं0–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा 164 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम से बाधित है? उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किये गये हैं। उपरोक्त वाद बिन्दुओं में विधि का समान प्रश्न विद्यमान है। अतः उपरोक्त दोनों वाद बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय– 5, नगर पालिका कराधान, करों का अधिरोपण और परिवर्तन का सम्यक् परिशीलन किया।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 5 की धारा 141 के तहत नगर पालिका द्वारा कर निर्धारण सूची तैयार करने का प्रावधान है। धारा 142 में सूची का प्रकाशन किया जाता है, धारा 143 में उक्त करनिर्धारण सूची में प्रविष्टियों पर आपत्ति किये जाने का प्रावधान है। उक्त आपत्तियों का निस्तारण नगर पालिका द्वारा किया जाता है, धारा 147 के तहत नगर पालिका, सूची में संशोधन और परिवर्तन कर सकती है। धारा 160 में कर निर्धारण के सम्बन्ध में नगर पालिका के आदेश के विरूद्ध अपील जिलाधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जाती है। धारा 164 (2) के तहत उक्त अपीलीय अधिकारी का आदेश अंतिम होता है।

नगर पालिका अधिनियम की धारा 162 के तहत धारा 160 में किसी अपील की सुनवाई के दौरान किसी कर के दायित्व या कर निर्धारण के सिद्धान्त के बारे में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो, जिस पर अपील सुनने वाले अधिकारी को यथोचित संदेह हो जाये तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध

व्यक्ति के आवेदन पर मामलें के तथ्यों और उस प्रश्न का, जिस पर संदेह हो, का विवरण तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट करेगा। अतः धारा 162 में माननीय उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने हेतु निर्देश का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 के अनुसार कर–निर्धारण के सम्बन्ध में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक का प्रावधान है। उक्त धारा के अनुसार सिविल और दाण्डिक न्यायालयों में नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी मूल्यांकन या कर निर्धारण पर न तो कोई विचार किया जायेगा और न कर निर्धारण किये जाने या कर लगाये जाने के लिये किसी व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रश्न उठाया जायेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के विवेचन से स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय को नगर पालिका के कर निर्धारण अभिलेखों पर निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं है। अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(घ) के अंतर्गत विधि द्वारा वर्जित एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 164 से बाधित है।

अतः उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से एवं वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

चूंकि वाद बिन्दु सं0–5 एवं 3 में यह निर्धारित किया जा चुका है कि प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 (घ) के अंतर्गत विधि द्वारा वर्जित एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 164 से बाधित है। अतः प्रस्तुत वाद में सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अन्य वाद बिन्दुओं पर मत व्यक्त करना उचित नहीं होगा। उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

दिनांक 02.11.2018

(दानवीर सिंह)
सिविल जज (जू0डि0) कालपी,
जनपद जालौन।

मेरे द्वारा यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 02.11.2018

(दानवीर सिंह)
सिविल जज (जू0डि0) कालपी,
जनपद जालौन।